# बिहार सरकार
## आपदा प्रबंधन विभाग

## प्रस्तावना

शताब्दी अन्न कलश योजना खाद्य–सुरक्षा की दृष्टिकोण से सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना है। इस योजना का मूल उद्देश्य राज्य में निवास करने वाले निर्धन, वृद्ध, विकलांग, विधवा, निराश्रित तथा अन्य कमजोर वर्गों के लोगों के बीच भूखमरी की घटनाओं को रोकथाम करना तथा भूखमरी की स्थिति में इन वर्गों को खाद्यान्न की आसान पहुंच सुनिश्चित करना है। माननीय मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व में बिहार राज्य में नित नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। यह योजना इसी क्रम में एक कड़ी है।

इस योजना के क्रियान्वयन में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के सदस्य एवं मुखिया तथा नगरीय क्षेत्रों में संबंधित वार्ड पार्षदों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उनके द्वारा यथाशक्ति अपने क्षेत्राधिकार में निवास कर रहे निर्धन, वृद्ध, विधवा, विकलांग, निराश्रित एवं अन्य कमजोर वर्गों/परिवारों को खाना उपलब्ध हो रहा है कि नहीं, इस पर ध्यान रखा जाएगा। इस योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत भूखमरी के संकट उत्पन्न होने पर मुखिया/वार्ड पार्षद के द्वारा संबंधित व्यक्ति/परिवार को चिन्हित जनवितरण प्रणाली के माध्यम से एक सप्ताह के लिए प्रति वयस्क 10 कि0ग्रा0 खाद्यान्न तथा प्रति अवयस्क 7 कि0ग्रा0 खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना है। इसके पश्चात स्थानीय पदाधिकारियों यथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी को सूचित किया जाएगा। वे स्थिति का आकलन कर अगले 3 सप्ताह तक के लिए खाद्यान्न की आपूर्ति का निदेश जनवितरण प्रणाली विक्रेता को दे सकते हैं। जिला पदाधिकारी जिला स्तर पर इस योजना के लिए नोडल पदाधिकारी हैं। वे अपनी संतुष्टि के उपरान्त एक माह से अधिक के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्देश दे सकते हैं। इस अवधि में प्रभावित व्यक्ति/परिवार को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित करने का समुचित प्रयास किया जायेगा।

इस योजना का लाभ पारदर्शी तरीके से पीड़ित परिवारों को मिले इस लिए यह आवश्यक है कि सभी संबंधित सहभागियों के बीच इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाय। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस योजना के क्रियान्वयन से बिहार राज्य में निर्धन, असहाय एवं कमजोर वर्गों के लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने में हमें सफलता मिलेगी।

(डॉ0 रेणु कुमारी कुशवाहा)
मंत्री
आपदा प्रबंधन विभाग,
बिहार, पटना